

प्ररूप-10

[नियम 11 (9) और 64 (3) (xiii)]

परिवीक्षा पर निर्मुक्त बालक की सामयिक रिपोर्ट

जब एक बालक को परिवीक्षा पर निर्मुक्त किया जाता है तब परिवीक्षा अधिकारी द्वारा आवधिक रिपोर्ट प्राथमिकी रिपोर्ट संख्या.....

पुलिस स्टेशन..... धाराएं के अधीन..... बनाम के मामले में।

जबकि (बालक का नाम)..... आयु..... को(तारीख)

को कानून का उल्लंघन करने वाला बालक पाया गया है और उसे (माता-पिता/संरक्षक/योग्य व्यक्ति / उपयुक्त सुविधा) की देखरेख में और उसे के (परिवीक्षा अधिकारी का नाम) पर्यवेक्षण में रखा गया है।

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|
| पंजीकरण संख्या:- | आयु (अनुमानतः) | लिंग:- बालक / बालिका |
| नाम:- | पिता का नाम:- | धर्म:- |
| शिक्षा:- | व्यावसायिक प्रशिक्षण यदि कोई हो | भाषा (ओं) का ज्ञान:- |
| न्यायालय की अगली तारीख:- | नियोजन, यदि कोई है | भर्ती की तारीख (योग्य व्यक्ति / योग्य सुविधा के मामले में) :- |
| | | |

मामले का व्यौरा तथा सार

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- (iii) परिवार के साथ बालक के अंतर-व्यक्तिगत संबंध.....
- (iv) मित्रों के साथ बालक के अंतर-व्यक्तिगत संबंध.....
- (v) परिवार में सुरक्षा तथा पर्यवेक्षण.....
- (vi) बालक के समक्ष आई कठिनाइयां.....
- (vii) परिवार द्वारा सामना की गई कठिनाइयां.....
- (viii) घर में परिवर्तन.....
- (ix) बालक द्वारा लिया गया व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि कोई हो.....
- (x) बालक का समाज विरोधी कार्यकलापों अथवा हानिकारक कार्यकलापों में लिस होना (उदाहरण के लिए इराना धर्मकाना, हिंसात्मक प्रकोप, तोड़ फोड़, स्वयं-हानि, मिथ्यावादी, अवज्ञा, आवेगशील, सहानुभूति का अभाव, यौन विकृति कार्य आदि का प्रदर्शित हो सकता है).....
- (xi) पिछली बार किसी समाज विरोधी व्यवहार अथवा हानिकारक कार्यकलापों के बाद बीता गया समय.....

3. स्कूल/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का दौरा:

- (i) स्कूल/केन्द्र का नाम
- (ii) अध्यापक/प्रधानाचार्य जिससे भेंट हुई
- (iii) प्रेक्षण किया गया कोई असामान्य व्यवहार
- (iv) बालक की प्रगति के संबंध में प्राप्त हुई जानकारी
- (v) बालक के प्रति हम उम्रों की अभिवृत्ति...
- (vi) हम उम्र के प्रति बालक को अभिवृत्ति.

4. रोजगार के स्थान का दौरा :

- (i) कार्य को प्रकृति.....
- (ii) कार्य के घंटे.....
- (iii) कार्य के प्रति बालक की अभिवृत्ति.....
- (iv) किसी श्रम कानून, कम मजदूरी अथवा रोकी गई मजदूरी, यदि पाया का उल्लंघन और नियोक्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई.....
- (v) पाया गया कोई अपसामान्य व्यवहार.....

5. क्या आपने बालक के साथ प्राइवेट रूप से बोलने में समय बिताया है? हाँ नहीं

यदि नहीं तो कारण बताएं.....

6. वैयक्तिक देखरेख के अंतर्गत (पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना के प्रगति)

7. वैयक्तिक देखरेख योजना के अंतर्गत पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना में आशोधन के लिए सिफारिशें :

द्वारा तैयार किया गया:

(परिवीक्षा अधिकारी...../...../.....(तारीख)

योजना : अगले दौरे की तारीख :

कार्रवाई का मुद्दा यदि कोई हो :

(हस्ताक्षर)

(परिवीक्षा अधिकारी)